प्ररूप–8क
[नियम 13(4) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

.....................विधान सभा/$संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के।

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे*/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन–क्षेत्र की नामावली के सुसंगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए। अन्यत्र रखी जाने वाली प्रविष्टि की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :–

1. उस व्यक्ति के, जिसकी प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाना है, ब्यौरे	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	निर्वाचक नामावली का जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग सं. :	उस भाग में उसका/उसकी क्र. सं. :	निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया हो) :
*पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
2. वर्तमान साधारण निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :			
मकान/गृह सं.			
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क			
नगर/ग्राम			
डाकघर	पिन कोड		
तहसील/ताल्लुक/मंडल/थाना :			
जिला :			
मोबाइल :	ई–मेल :		
3. आवेदन की तारीख को उपरोक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	वर्ष :	मास :	
4. वह भाग सं., जिसमें प्रविष्टि अन्यत्र रखी जानी है (यदि ज्ञात हो) :			
@5. आवेदक के ब्यौरे	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	उस निर्वाचक नामावली की, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग सं. :	उस भाग में उसका/उसकी क्र सं. :	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया है) :

$उन संघ राज्यक्षेत्रों की, जिसमें विधान सभा नहीं है और जम्मू–कश्मीर राज्य की दशा में।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

@जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को अन्यत्र रखने की मांग करता है वहां भाग 5 नहीं भरा जाए।

[

6. घोषणा :

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान :

तारीख : **आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

टिप्पण :– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है)

श्री /श्रीमती /कुमारी.. के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को अन्यत्र रखने के संबंध में उनका/उनकी/श्री/श्रीमती/कुमारी के प्ररूप 8क में अवेदन को स्वीकार* /नामंजूर* कर दिया गया है।

स्वीकार *किए जाने [नियम 18/20/26/(4)]$ के अधीन या उसके अनुसरण में या नामंजूर करने [नियम 17/*20/*26/(4)$ के अधीन या अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारणः

स्थान : तारीख :	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की टिप्पणिया (अर्थात् बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षक अधिकारी)

— —

की गई कार्रवाई की संसूचना

पृष्ठ के अनुभाग 2 को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और आवेदक द्वारा अनुभाग 1 में दिये गए पते पर आवेदक को डाक द्वारा भेजा जाना है।

------------------------------ पहला मोड ----------------------------------

अनुभाग 1

**श्री /श्रीमती /कुमारी... का प्ररूप 8क में आवेदन

**(पूरा पता)

गृह /मकान संख्या :...................................गली /क्षेत्र /परिक्षेत्र /मोहल्ला /सड़क :..

कस्बा/गांव :..डाकघर :..पिन कोड :..................................

तहसील/ताल्लुका/मंडल/थाना :..जिला :...

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा

नि. रजि. प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं

-------------------- दूसरा मोड ----------------

अनुभाग 2

श्री /श्रीमती /कुमारी... के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को अन्यत्र रखने के संबंध में उनका/उनकी/श्री/श्रीमती/कुमारी...के प्ररूप 8क में अवेदन को स्वीकार* /नामंजूर* कर दिया गया है।

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता ....

....

आवेदन प्ररूप–8क भरने के लिए दिशा–निर्देश

सामान्य अनुदेश

प्ररूप–8 क कौन दाखिल कर सकता है

1. जिस व्यक्ति का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही समाविष्ट है, वह उसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

प्ररूप–8 क कब दाखिल किया जा सकता है

1. उसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अपने या किसी ओर से सम्बन्धित प्रविष्टि के अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी उसी निर्वाचक क्षेत्र के अन्तर्गत नाम अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप–8 क कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थल), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ–साथ निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

प्ररूप–8 क कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक सम्बन्धित प्रविष्टि का स्थानांतरण चाहते हैं। खाली स्थान में निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदन के भाग– 1 में नाम, भाग संख्या, नामावली की क्रम संख्या जहां नाम पहले से प्रविष्ट है, मतदाता फोटो पहचान–पत्र संख्या और नातेदार का नाम (जैसा कि निर्वाचक नामावली में मुद्रित हैं) भरें।
3. आवेदन के भाग–2 में कृपया नये स्थान का पूरा पता लिखें, जहां आप या संबंधित व्यक्ति ने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अपना साधारण आवास स्थानांतरित कर लिया है। कृपया अपूर्ण पता न लिखें क्योंकि ऐसा होने पर सम्भव है कि आपके द्वारा दिये गये पते को सही भाग से सम्बद्ध करना सम्भव नहीं होगा।

आवेदन की रसीद

**श्री /श्रीमती /कुमारी..

पता** ....

का प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से

आवेदन प्राप्त करने वाला आफिसर के

हस्ताक्षर

(पता) ....

....

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा

4. आवेदन के भाग–3 में, आवेदन के भाग–2 में विनिर्दिष्ट नये पते पर कितने समय से नियमित रूप से निवासी है, इस बात का उल्लेख किया जाना है।

5. आवेदन के भाग–4 में निर्वाचक सूची के उस भाग की संख्या उल्लिखित करें, जिस भाग में नये क्षेत्र के निवासी, जहां आप स्थानांतरित हुए हैं, निबंधित हैं। यह प्रविष्टि ऐच्छिक है। यदि आपको निर्वाचक नामावली की भाग संख्या पता नहीं है तो खाली स्थान छोड़ दें।

6. आवेदन का भाग–5 उस मामले में नहीं भरा जाना है जहां अपने से संबंधित प्रविष्टि के स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया है। यह भाग उसी समय भरा जाना होगा यदि आवेदक किसी और व्यक्ति की प्रविष्टि के स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है।

   कृपया प्राप्ति स्वीकृति और सूचना भाग पर अपना पूरा नाम और पता भी दें।

   कृपया प्ररूप में मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई.डी. दें। यदि इन्हें दिया जाता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इनका उपयोग आवेदन के साथ संसूचना के लिए, जब कभी भी अपेक्षित हो, किया जा सकता है।

आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. मतदाता सूची में पंजीयन एवं अन्य जानकारी प्राप्ति हेतु आपके मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

   + मतदान केन्द्र का नाम एवं नम्बर ....

   बूथ लेवल अधिकारी का नाम /पता ....

   बूथ लेवल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ....

   (+ नोट :– उपरोक्त तीनों प्रविष्टियां बूथ वेवल अधिकारी द्वारा भरी जानी है।)

2. मतदाता सूची में अपना नाम देखने एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी हेतु भारत निर्वाचन आयोग की वैबसाईट **www.eci.nic.in** एवं **www.ceorajasthan.nic.in** निर्वाचन विभाग की वैबसाईट देख सकते हैं।

3. मतदाता फोटो पहचान पत्र /मतदाता सूची एवं निर्वाचन विभाग से संबंधित अन्य जानकारी /शिकायतों के निवारण हेतु विभाग के काल सेन्टर के दूरभाष नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं।